

भाग 2  
 प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला 2025245037322  
 सदन प्रथम क्रम संख्या  
 निबंधक मथुरा  
 24/12/2025  
 लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक श्री श्रीवास्तव एडो  
 प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम 2013 वर्ष से 2025 वर्ष तक  
 लेख का प्रकार: भार प्रमाण  
 प्रतिफल की धराराशि  
 1. रजिस्ट्रीकरण शुल्क  
 2. प्रतिनिधिकरण शुल्क  
 3. निरीक्षण या तलाश शुल्क  
 4. मुद्दारा के अधिग्रहणीकरण लिए शुल्क  
 5. कमीशन शुल्क  
 6. विधि  
 7. यात्रिक भत्ता 100  
 1 से 6 तक का योग 24/12/2025  
 शुल्क वसूल करने का दिनांक 24/12/2025  
 दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या तलाश  
 प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार किया  
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के इम्प्रेस

प्र.प. श्री श्रीवास्तव  
 उप-निबंधक, मथुरा

प्रपत्र संख्या 29 (नियम 12)  
 अन्वेषण का प्रमाण पत्र की संख्या  
 198 के प्रमाण पत्र की संख्या  
 188 के प्रार्थना पत्र की संख्या  
 श्री श्रीवास्तव एडवोकेट, सिविल कोर्ट, मथुरा ने मेरे पास नीचे उल्लिखित सम्पत्ति के पत्र देने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।  
 सम्पत्ति का विवरण प्रार्थना पत्र में उल्लिखित के अनुसार दिया जायेगा।  
 हरे कृष्णा रिसोर्ट एण्ड सुइट्स प्रा0 लि0 द्वारा डायरेक्टर  
 सुरेन्द्र विष्ट पुत्र गोपाल सिंह निवासी फ्लैट नं0 47,  
 भूतल एम्स अपार्टमेंट फरीदाबाद व कुंज बिहारी पुत्र  
 राधेश्याम निवासी 188 सी, हरिदास नगर राजपुर वॉंगर  
 वृन्दावन तहसील व जिला मथुरा।  
 63 का ईस्ट डिवीजन  
 6" 4" डिवीजन - जयपुर एडवोकेट रिसोर्ट  
 जयपुर एडवोकेट  
 जयपुर एडवोकेट  
 जयपुर एडवोकेट

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त सम्पत्ति हर प्रभाव डालने वाले कार्यों तथा तत्सम्बन्धी भार प्रस्तावों के लिए वर्ष 2013 से 2025 तक प्रस्तुत तथा अनुक्रमिकाओं का अन्वेषण किया गया और ऐसे अन्वेषण से निम्नलिखित कार्य भार ग्रस्तता प्रकट होता है।

सम्पत्ति का विवरण जैसा लेख्य में दिया गया है	निष्पादन का दिनांक	लेखा का प्रकार तथा मूल्य	पक्षकारों के नाम निष्पादक अलाटमेंट	प्रतिष्ठी संख्या वर्ष
① ऊपर	24/12/25	की	कुंज बिहारी cum जयपुर एडवोकेट काठ	25/12/2025

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त कार्यों तथा ग्रस्तताओं के अतिरिक्त उक्त सम्पत्ति जो प्रसाधित करने वाला कोई अन्य भार प्रस्तुता प्राप्त नहीं हुई है।  
 1. इस प्रमाण पत्र में प्रदर्शित वे भार ग्रस्तताएँ हैं जो कि प्रार्थी द्वारा वर्णित सम्पत्ति के विवरण से अभिन्न हैं। यदि निबन्धन अभिलेखों में सम्पत्ति का विवरण अपने से भिन्न रीति से दिया गया है जैसा प्रार्थी ने नहीं लिखा है तो उक्त स्थिति में वैसी भार ग्रस्तियों का प्रमाण पत्र में समावेश नहीं किया जायेगा।  
 2. वांछित अन्वेषण व प्रमाण पत्र यथा सम्भव सावधानी पूर्वक कार्यालय द्वारा तैयार किया गया है। फिर भी विभाग किसी भी अन्वेषण प्रमाण पत्र की त्रुटि अथवा इसके परिणामों के लिये उत्तरदायी नहीं है।  
 3. इस पत्र में वे लेखपत्र यदि कोई जो प्रस्तुत हो गये हैं किन्तु जिसका निबन्धन हो गया है के सम्बन्ध में भार ग्रस्तता प्रमाण पत्र शामिल नहीं है।  
 द्वारा अन्वेषण तथा प्रमाण-पत्र तैयार किया गया।  
 द्वारा अन्वेषण सत्यापित किया गया।  
 प्र.प. श्री श्रीवास्तव  
 उप-निबंधक, मथुरा